रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 728] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2019/अग्रहायण 27, 1941
No. 728] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2019/ AGRAHAYANA 27, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 935 (अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए नियमों का प्रारूप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 521 (अ), तारीख 24 जुलाई, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त प्रारूप नियमों से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 24 जुलाई, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान, (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 92 में, उप नियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(4) विनिर्माता, जो मोटर यान और उनके भाग, घटक, संयोजन, उप-संयोजन में माइक्रोडॉट अभिज्ञापक जोड़ रहे हैं, वे समय-समय पर यथा संशोधित ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस)-155 के अनुरूप होंगे।"।

[फा. सं. आरटी-11036/36/2019-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 590 (अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किये गए थे, और अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 881 (अ) तारीख 26 नवम्बर, 2019 द्वारा इनमें अंतिम रूप से संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2019

G.S.R. 935(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), vide notification number G.S.R.521 (E), dated the 24th day of July, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Official Gazette containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 24th July, 2019;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Fourteenth Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 92, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted namely:-

"(4) The manufacturers who are affixing microdot identifiers in the motor vehicles and their parts, components, assemblies, sub-assemblies shall conform to Automotive Industry Standard (AIS)-155 as amended from time to time.".

[F.No. RT-11036/36/2019-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i),vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd day of June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R. 881(E), dated the 26th day of November, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.20 17:47:14 +05'30'